भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.462
20.11.2019 को उत्तर देने के लिए

एमपीएलएडी योजना की अप्रयुक्त राशि

462. श्रीबी.वाई. राघवेन्द्र:
श्री नलीन कुमार कटील:
श्री डी.के. सुरेश:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत हजारों करोड़ रुपए की राशि अप्रयुक्त रह जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने इस योजना के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई विधिक तंत्र स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) निधि अव्यपगत होती है और जिला प्राधिकारियों के पास शेष उपलब्ध निधि या तो जिला प्राधिकारियों द्वारा पहले से संस्वीकृत जारी परियोजनाओं के लिए बाद के वर्षों में प्रयुक्त किए जाने के लिए होती है या उत्तरवर्तीसंसद सदस्य के खाते में उसी निर्वाचन क्षेत्रमेंप्रयुक्त किए जानेहेतु तत्पश्चात् उनको अंतरित की जाती है । विगत पांच वर्षों की संचयी निर्मुक्ति, व्यय और शेष निधि को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:-

<u>विवरण</u>

(राशि करोड़ रुपए में)

दिनांक को स्थिति*	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि	व्यय	शेषनिधि
31.03.2015	36007.25	32373.12	4857.51
31.03.2016	39509.25	35997.90	4950.34
31.03.2017	43008.75	39904.26	5029.31
31.03.2018	46512.75	43980.55	4877.71
31.03.2019	50462.25	48997.07	4103.97

*आंकड़े प्रारंभ से संचयी आंकड़े हैं ।

(ख), (ग) और (घ) केंद्रीय सूचना आयोग ने

(i) श्री राम गोपाल दीक्षित के मामले में दिनांक 16.10.2018 सीआईसी/एमओएसपीआई/ए/2017/195498 के आदेश

(ii) श्री विष्णु देव भंडारी के मामले में दिनांक 16.09.2018 के सीआईसी/आईएसटीआईएन/ए/2017/184311 के आदेश

के तहत योजना के अंतर्गत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया है ।

सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों से परामर्श करके मामले की जांच की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.) दायर करके इन आदेशों को चुनौती देने का निर्णय लिया गया है । तथापि, स्कीम का कार्यान्वयन प्रारंभ से ही 'एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों'द्वारा शासित किया जाता है ।ये दिशा-निर्देश समाज और शासन की बदलती अपेक्षाओं की प्रकृति के अनुरूप तैयार किए जाते हैं ।

****